25/
3.37 PM

संख्या : 921 /XLI-1/2017-58/2010

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक : 21 सितम्बर, 2017**

विषयः अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक नैनीताल के फाउण्ड्री ब्लॉक के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII-1/2017 दिनांक 30.06.2017 एवं आपके पत्र संख्या–787/नि.प्रा.शि./लेखा/फा0ब्ला0/2015–16 दिनांक 22.03.2016, पत्र संख्या–564 दिनांक 01.09.2016 एवं पत्र संख्या–310/नि0प्रा0शि0/फाउन्ड्री(365)/2017–18 दिनांक 20.05.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक, नैनीताल के फाउण्ड्री ब्लॉक के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल द्वारा गठित आगणन ₹ 87.58 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 50.00 लाख **(₹ पचास लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संस्था द्वारा धनराशि को किसी भी दशा में आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि संस्था द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि को बैंक खाते में रख कर व्याज अर्जित किया गया हो तो अर्जित व्याज की धनराशि को कम करते हुए शेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव ही शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
8. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व में कार्यदायी संस्था से अग्रिम रूप से बिना कार्य के धनराशि उपलब्ध कराये जाने एवं नियमों के विपरीत टीडीएस काटे जाने पर नियमानुसार दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य 18 माह में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
10. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।
12. भवन निर्माण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 29.07.2013 के सभी सुझावों को पूर्ण किया जायेगा।
13. पूर्व में काटे गये टीडीएस का वर्तमान आगणन में समायोजित करने की कार्यवाही की जायेगी।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–30' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण" के अन्तर्गत मानक मद–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में **www.cts.uk.gov.in** से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. **संलग्नक–1** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र सं0 72(म0)XXVII(3)17–18 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या : 921(1)/XLI(1)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।